उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–12/2008–09

बीबी नीलम

बनाम्

अलाउद्दिन मियाँ एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 2/10/13

उत्तरवादी के अनुपस्थित रहने के कारण अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता बीबी नीलम, पति–स्व0 कुरशेद आलम, सा0–रौतारा, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–25/2006–07 (शेख कुरशेद आलम बनाम् अलाउद्दिन मियाँ वगैरह) में दिनांक–25.10.2007 के पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता के पति ने मौजा–रौतारा नं0–372, जमाबंदी सं0–79, 23 एवं 33 का कुल रकवा 19–16–19 धुर जमीन से उत्तरवादी सं0–01 से 11 तक को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष आवेदन दाखिल किया था। उक्त जमीन अपीलकर्त्ता के पति के पूर्वज शेख लखू वगै0 के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। जमाबंदी रैयत शेख लखू को एक पुत्र शेख अली हसन हुए एवं दूसरी शादी से इन्द्रराज मियाँ हुए। शेख अली हसन अपीलकर्त्ता के पति के पिता है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादीगण अपीलकर्त्ता के पति के परिवार में नहीं आता है। उनलोगों ने अपीलकर्त्ता के पति के जमीन को जबरन कब्जा कर लिया है। निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता के पति के द्वारा दायर किया गया वंशवृक्ष पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया है, जिसमें उल्लेख है कि वर्तमान अपील वाद अपीलकर्त्ता ने निम्न न्यायालय के आदेश

के विरूद्ध अपने पति कुरसेद मियाँ के मृत्यु के बाद दायर किया है। पूर्व में भी अपीलकर्त्ता के पति ने आर0ई0आर0 केश नं0–48/2005–06 कुरसेद आलम बनाम् वीरेन्द्र दास एवं अन्य ग्यारह विपक्षीयों पर मौजा–रौतारा के जमाबंदी नं0–30 एवं 37 पर दायर किया था। वास्तविकता यह है कि शेख कुरसेद आलम को अपने वंशवृक्ष का ज्ञान नहीं था और न ही अपीलकर्त्ता को है। सत्य यह है कि शेख अली जो अपीलकर्त्ता के ससूर हैं, पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्सीदाबाद जिले के रहने वाले थे और उन्होंने मौजा–गोड्डा टाउन के दाग नं0–431 के अन्तर्गत रकवा 00–01–01 धुर जमीन खरीदा था, जिस पर मकान बना कर अभी भी निवास कर रहे हैं। समाज के कुछ दुषित तत्वों के बहकावे में आकर मौजा–रौतारा नं0–372 के जमाबंदी नं0–79, 23 एवं 33 की जमीन का अपने को वारीस बता कर गलत ढंग से वाद दायर किया है। जिस जमीन पर उच्छेदी वाद दायर किया गया था, वह उत्तरवादीगण के पूर्वज का ही है, जिस पर उत्तरवादीगण पिढ़ी दर पिढ़ी शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार चले आ रहे हैं एवं सरकार को माल गुजारी भी देते आ रहे है। अपीलकर्त्ता ने जो बंशावली प्रस्तुत किया गया है, वह बिल्कुल ही गलत है। उनका सही बंशावली निम्न प्रकार है :–

जीर बकस
↓
शेख अली हसन
↓
स्व0 कुरसेद आलम
↓
बीबी नीलम (अपीलकर्त्ता)

उत्तरवादीगण ने अपने प्रत्युत्तर में आगे उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्त्ता जबरन शेख लखु जमाबंदी रैयत का वारीस बन कर उत्तरवादी की जमीन को हड़पने की शाजिस कर रही है। अपीलकर्त्ता के पति ने वंशावली प्रमाण–पत्र के लिए अंचल अधिकारी, गोड्डा के समक्ष आवेदन दिया था, जिसका अभिलेख सं0–48/05 प्रारंभ किया गया था। उसमें विभिन्न स्तर से जाँच किया गया एवं पाया गया कि अपीलकर्त्ता के पति मौजा–रौतारा का निवासी नहीं है और न ही शेख लखु से उनका कोई संबंध है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–रौतारा नं0–372, जमाबंदी नं0–79 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शेख लखू वल्द शेख अकबर, जमाबंदी नं0–23 मसो0 जहुरन दोख्तर शेख अकबर एवं जमाबंदी सं0–33 शेख रहमत अली वल्द शेख अब्दुल अली के नाम से दर्ज है। दोनों ही पक्ष के द्वारा अपने को उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत के वारीश होने का दावा किया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह स्वत्व से संबंधित मामला बनता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–25 / 2006–07 में दिनांक–25.10.2007 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त, गोड्डा। 02/10/23

उपायुक्त, गोड्डा। 02/10/23

समाहरणालय, गोड्डा
जिला विधि शाखा, गोड्डा

ज्ञा० सं०:- 74 दि०:- 30.10.23

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदा०, गोड्डा को उनके पत्रा० के RER केस नं०-25/06-07 (श्री खुर्शीद आलम व/ऽ अलाउद्दीन मियाँ वगैरह) मूल अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:- यथोक्त

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
गोड्डा
30/10/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.12.09 10:31:56 +05:30
Location: 192.168.1.87